न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 09/2019(2019/00018)

1. रामदेव पुत्र नाथू जाति धाकड
2. लाला पुत्र नाथू जाति धाकड
3. गोपी पुत्र नाथू जाति धाकड
4. रामचन्द्र पुत्र नाथू जाति धाकड
5. श्रीमति हगाम पत्नी नाथू जाति धाकड

समस्त निवासीगण ग्राम काबरिया तहसील केकडी जिला अजमेर।

---प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. प्रधान पुत्र बद्री जाति धाकड
3. हंसराज पुत्र बद्री जाति धाकड
4. पोलू पुत्र रामकिशन जाति धाकड
5. धनराज पुत्र सुशपाल जाति धाकड
6. श्रीमति गोदी पत्नी श्योजी जाति धाकड
7. मांगीलाल पुत्र भैरू जाति जाट
8. बालू पुत्र गोरधन जाति जाट
9. गोपाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट
10. भंवरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट
11. रामचन्द्र पुत्र हरदेव जाति बैरवा
12. रामचन्द्र पुत्र हरदेव जाति बैरवा

समस्त निवासीगण ग्राम काबरिया तहसील केकडी जिला अजमेर।

--- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:–
प्रार्थी वकील :– श्री सिद्वार्थ सिंह
पेराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 10.10.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके काबरिया तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (हे.)	किस्म
82–74	128 135 136	2.68 0.78 0.85	बारानी उत्तम बारानी उत्तम बारानी उत्तम
	कुल किता 3	कुल रकबा 4.31	

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

उक्त में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है जिसमे प्रार्थीगण ही बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज है प्रार्थीगण का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा हैं । प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के नाम बतोर खातेदार काश्तकार के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा अपने कृषि आराजीयात में सुधार कार्य व तारबंदी करवाना चाहते है जिसके लिए खातेदारी से स्थायी पत्थरगढ़ी होकर सीमांकन हो जावे तो खेत पडोस व अन्य खातेदार से किसीप्रकार विवाद नही हो इसलिए प्रार्थीगण अपने कृषि आराजीयात पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के कार्यालय में दिनांक 27.1.2022 को उक्त आराजी की स्थायी पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का हिस्से अनुसार स्थायी पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है जिससे की अन्य खातेदारो व अन्य पडोसीयो से किसी प्रकार का मौके पर विवाद उत्पन्न नही हो। इसलिए आराजी की स्थायी पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान करवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः स्थायी पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गई। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये पैरोकार सरकार तहसीलदार केकडी द्वारा जवाब टिप्पणी जिसमे बताया संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदार भूमि है राजहित प्रभावित नही है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम कावरिया तहसील केकडी के खाता संख्या नया पुराना 82–74 के खसरा संख्या 128, 135, 136 रकबा 2.68, 0.78, 0.85हैक्टर, कुल किता 3, कुल रकबा 4.31हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner